भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

परीक्षा विंग

2024 का परिपत्र संख्या 01

(केवल IA&AD के लिए)
सं. 15/15-परीक्षा/केंद्रीय रूप से आयोजित परीक्षा/2023
दिनांक: 17/01/2024

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष
महानिदेशक (स्टाफ)/महानिदेशक (मुख्यालय)
(मानक ईमेल सूची के अनुसार)

विषय: विभागीय परीक्षाओं की चार श्रेणियों का केन्द्रीय स्तर पर आयोजन

महोदया/महोदय,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीएजी के एमएसओ (प्रशासन) खंड I में उल्लिखित परीक्षा चक्र के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2024 से मुख्यालय के परीक्षा विंग द्वारा ऑफ़लाइन मोड पर निम्नलिखित परीक्षाएँ केन्द्रीय रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया है।

क) लेखापरीक्षकों/लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा (वर्ष में दो बार यानी फरवरी और अगस्त)

ख) वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा (वर्ष में एक बार यानी अप्रैल)

ग) एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा (वर्ष में एक बार यानी जनवरी)

घ) 12वीं पास एमटीएस के लिए विभागीय परीक्षा (वर्ष में एक बार यानी सितंबर)

2. परीक्षाओं की सारणी परीक्षा विंग द्वारा तय किया जाएगा और प्रसारित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी परीक्षा विंग द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान

की जाएंगी। परीक्षाएं क्षेत्रीय कार्यालयों में वैसे ही आयोजित की जाएंगी जैसा कि वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है।

3. ये परीक्षाएँ विभागीय परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में दिनांक 06.01.2022 के परिपत्र संख्या 01 में उल्लिखित परीक्षा पैटर्न का पालन करेंगी और सभी विभागीय परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के पैटर्न में परिवर्तन के बाद जो स्पष्टीकरण स्थानीय स्तर पर विभागाध्यक्षों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, वे दिनांक 24.03.2022 के परिपत्र संख्या 10 के तहत जारी किए गए हैं। इन परीक्षाओं की विनिर्देश इस प्रकार हैं:

क) इन परीक्षाओं का पैटर्न आम तौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। हालाँकि, जहाँ भी अंग्रेजी/हिंदी/अन्य भारतीय भाषाओं में भाषा कौशल का परीक्षण होता है, उसे वर्णनात्मक मोड के मौजूदा पैटर्न में जारी रखा जाना है। आईटी प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर आयोजित किए जाएंगे। इन परीक्षाओं में किताबें लाने की अनुमति नहीं है।

ख) परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के पेपर-1 और लेखापरीक्षकों (सभी शाखाओं) के लिए विभागीय परीक्षा के आईटी प्रैक्टिकल को छोड़कर बहुविकल्पीय पैटर्न पर आधारित प्रत्येक पेपर के लिए प्रश्नों की संख्या 100 होगी । प्रारंभिक परीक्षा का पेपर-1 दो खंडों में विभाजित है, खंड-I (सामान्य अंग्रेजी/सामान्य हिंदी) पारंपरिक मोड में होगा और खंड-II (भारत का संविधान) बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) आधारित होगा, दोनों खंडों में 50 अंकों का महत्व समान होगा।

ग) वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा को छोड़कर प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण और छूट अंक 45% होंगे। वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 50% हैं।

घ) मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली (परिपत्र संख्या 09, 2008, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है) तब तक जारी रहेगी जब तक परीक्षाएं ऑफ़लाइन मोड में नहीं हो जातीं। एसएएस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मूल्यांकन अभी की तरह ही जारी रहेगा यानी एसएएस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन संबंधित फील्ड कार्यालयों में किया जाना है। आईटी प्रैक्टिकल के प्रत्येक उत्तर को एक अलग फाइल में संचय किया जा सकता है और मूल्यांकन के लिए, उचित और सख्त सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करके ईमेल/डीवीडी/सीडी द्वारा फाइल भेजी जा सकती है।

ड.) मौकों की मौजूदा संख्या जारी रहेगी। केन्द्रीकृत रूप से परीक्षा आयोजित करने की शुरुआत से मौकों की संख्या की गणना नए सिरे से शुरू होगी। पिछली छूट वैध रहेगी।

च) बहुविकल्पीय के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक (25 प्रतिशत) की सीमा तक नकारात्मक अंकन लागू है। पारंपरिक/वर्णनात्मक और आईटी प्रैक्टिकल पेपर/भागों के लिए कोई नकारात्मक अंकन लागू नहीं है।

जी) प्रत्येक पेपर में अंक पूर्ण संख्या में दिए जाएंगे। उम्मीदवार को दिए गए कुल अंक पूर्ण संख्या में व्यक्त किए जाने चाहिए। अंश (समग्र योग में और किसी प्रश्न के योग में नहीं) को अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाना चाहिए जैसे कि 44.25/44.50/44.75 को 45 में पूर्णांकित किया जाना है।

छ) परीक्षाएं संशोधित पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी। लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा, वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा और 12वीं पास एमटीएस के लिए विभागीय परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम यथासमय सूचित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम संबंधित पेपरों के साथ-साथ शाखाओं के संशोधित एसएएस पाठ्यक्रम के समान होगा।

एसएएस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के विषय और पेपर सीएजी के एमएसओ (प्रशासन) खंड 1 का पैरा 9.2.4)	संशोधित एसएएस पाठ्यक्रम के प्रासंगिक विषय
पेपर-1 a) सामान्य अंग्रेजी/हिंदी b) भारत का संविधान	a) पीसी-1 भाषा कौशल (अंग्रेजी/हिंदी) b) पीसी-2 सरकारी लेखापरीक्षा (भारत का संविधान)

पेपर-2 सरकारी खातों के सेवा विनियम, वित्तीय नियम और सिद्धांत	पीसी-4 सरकारी लेखाओं और सीपीडबलूए (सिविल लेखाओं सिविल लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा) के वित्तीय नियम, सेवा नियम और मूल सिद्धांत पीसी-5 रक्षा लेखाओं (रक्षा लेखापरीक्षा) के वित्तीय नियम, सेवा नियम और सिद्धांत पीसी-6 डाक और दूरसंचार लेखाओं के वित्तीय नियम, सेवा नियम और मूल सिद्धांत (वित्त और संचार लेखापरीक्षा) पीसी-7 रेलवे लेखा के रेलवे सेवा नियम, वित्तीय नियम, तथा सिद्धांत (रेलवे लेखापरीक्षा)

	पीसी-8 वित्तीय नियम, सरकारी तथा लोक निर्माण लेखा के मूल सिद्धांत, सेवा नियम तथा लेखा मानक (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

4. अभ्यर्थी उसी स्थान पर परीक्षा देंगे जहां वे पदस्थ हैं, बशर्ते कि वहां भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का कार्यालय हो। अभ्यर्थी तथा कार्यालय तदनुसार एक दूसरे से समन्वय करेंगे।

यह उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एचआर,आईआर एवं समन्वय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीया
हस्ता/-
(स्वाती पांडे)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)